कार्यालय – प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

विविध आदेश

कमांक124/एक–11–1/कार्य.वि.प./2019 **ग्वालियर, दिनांक :** 08/09/**2023**

मैं, **पी.सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (म.प्र.)** सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 की धारा 15 की उपधारा (1) एवं धारा 21 (4) तथा दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 10(2), 194, 381 (2) और धारा 408 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस संबंध में पूर्व में प्रसारित समस्त आदेशों को अधिक्रमित (सुपरसीड) करते हुए, सिविल जिला ग्वालियर में पदस्थ समस्त न्यायाधीशों/न्यायालयों के बीच सिविल कार्य एवं उच्च न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों के बीच दाण्डिक कार्य का वितरण/विभाजन एवं क्षेत्राधिकार निम्नानुसार घोषित करता हूँ। यह आदेश दिनांक 08/09/2023 से प्रभावशील होगा, परन्तु इस कार्य विभाजन आदेश के प्रभावशील होने के पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय के न्यायाधीश के पास लंबित है या प्रस्तुत हुए हैं, उन पर न्यायिक/प्रशासकीय आदेश से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स.क्र.	**न्यायालय का नाम**	**क्षेत्राधिकार**	**अनु. क.**	**प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है।**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर **(श्री पी.सी. गुप्ता)**	सत्रखण्ड ग्वालियर के अंतर्गत उत्पन्न	1	विशेष सत्र न्यायाधीशों के द्वारा सीधे संज्ञान लिये जाने वाले सत्र मामलों **को छोड़कर समस्त सत्र प्रकरण**
			2	समस्त आपराधिक अपील
			3	समस्त आपराधिक पुनरीक्षण
			4	न्यायिक जिला मुख्यालय, ग्वालियर पर उद्भूत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438, 439 दं.प्र.स. (विशेष/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश SC/ST(POA) Act, NDPS Act, PC Act, POCSO Act, Electricity Act, Dacoity Act से संबंधित सीधे संज्ञान में लिये जाने वाले एवं ऐसे विशेष मामलों में प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438, 439 दं.प्र.स. को छोड़कर)
			5	धारा 408 एवं 409 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।
			6	मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत याचिकायें। (अधिसूचना भोपाल, दिनांक 09.09.1996 के अंतर्गत)
			7	भारतीय सती (प्रतिषेध) अधिनियम से संबंधित मामले।
			8	विचाराधीन मामलों से संबंधित विविध आवेदन।
			9	विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 1.5.2010 एवं रजिस्ट्री के पृष्ठांकन कमांक ए/1416 दि. 2.6.2010 के अनुसार औषधि और प्रशासन सामाग्री अधिनियम 1940 के अंतर्गत धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय अपराध से संबंधित मामले।

			10	विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना दिनांक 08.12.17 दिव्यांग व्यक्तियो के अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन प्रस्तुत होने वाले मामले।
			11	किसी अधिनियम, नियम, अधिसूचना द्वारा या राज्य शासन या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किसी विशेष न्यायालय के रूप मे सत्र न्यायाधीश को अधिकृत किया गया हो तो तत्संबंधी समस्त विशेष मामले।
			12	अन्य समस्त ऐसे आपराधिक प्रकरण जिनका उल्लेख कार्य विभाजन पत्रक में प्रथक से नहीं है।
			13	ग्राम न्यायाधिकारी, ग्वालियर/डबरा द्वारा निराकृत मामलों से उत्पन्न आपराधिक अपीलें और संबंधित विविध कार्यवाहियां।
			14	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
1(अ)	प्रधान जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(श्री पी.सी. गुप्ता)**	मुख्यालय ग्वालियर के अंतर्गत उत्पन्न	1	माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के पृ.क. बी/6235/तीन–6–5/2018 जबलपुर दिनांक 23.12.22 के संलग्न मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना फा. क्रमांक 4779/2022/इक्कीस–ब (एक)/2022 दिनांक 15.12.22 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 (1963 का 47) की धारा 20 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को सिविल जिला ग्वालियर की स्थानीय सीमाओं के क्षेत्र के संबंध में अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण।
			2	**रू. 15,00,00,001/–(पन्द्रह करोड़ एक रू.)** से अधिक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			3	भू अर्जन अधि0 1894 के अंर्तगत प्रस्तुत रिफरेंस प्रकरण व उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			4	म.प्र. पंचायत अधिनियम के अंतर्गत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियां।
			5	म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।
			6	धारा 20 म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अधीन चुनाव याचिकाएं।
			7	नियम 42 छावनी अधिनियम के अधीन चुनाव याचिकाएं।
			8	धारा 441 म.प्र. नगरपालिका निगम 1956 के अधीन चुनाव याचिकाएं।
			9	धारा 9 अशक्त व्यक्ति (मुआवजा तथा पुनर्वास) अधिनियम के अतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस तथा विविध कार्यवाहियां।
			10	भाडा नियंत्रण प्राधिकारी, ग्वालियर के द्वारा पारित निर्णय व आदेशों से उत्पन्न नियमित तथा विविध अपीलें।
			11	ग्राम न्यायाधिकारी, ग्वालियर द्वारा निराकृत मामलों से उत्पन्न व्यवहार अपीलें और संबंधित विविध कार्यवाहियां।

		सिविल जिला ग्वालियर	12	**जिला मुख्यालय पर पदस्थ समस्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड** के द्वारा ऐसे मामलों में पारित निर्णय एवं आदेश जिनमें **शासन या नगर पालिका या विकास प्राधिकरण** आदि अन्य शासकीय संस्थान सक्रिय पक्षकार रहे हों एवं उनके विरूद्ध सहायता चाही गई हो, से संबंधित समस्त अपीलें तथा समस्त **प्रशिक्षु व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड**, ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की अपीलें।
			13	धारा 24 व्य.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।
			14	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			15	लोकल फण्ड आडिट अधि0 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			16	पंचायत अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत अपीलें, पुनरीक्षण तथा आवेदन पत्र।
			17	धारा 68 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के आदेश/निर्णय से उद्भूत समस्त नियमित सिविल अपीलें।
			18	इन्श्योरेन्स अधिनियम 1938 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			19	ऐसे समस्त प्रकरण जिनका इस कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र उल्लेख नहीं है।
			20	लोक परिसर (अनाधिकृत आधिपत्य से बेदखली) अधिनियम 1971 की धारा 9 से संबंधित मामले।
2	विशेष न्यायाधीश (अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम), विशेष न्यायालय ग्वालियर **(श्री प्रमोद कुमार)**	सम्पूर्ण ग्वालियर सत्र खण्ड से उत्पन्न	1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अधीन समस्त विशेष प्रकरण व उनसे संबंधित अन्य कार्यवाहियां तथा धारा 438 व 439 दं.प्र.स. के तथा अन्य प्रतिभूति आवेदन पत्र। (माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर के मैमो कमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार उन मामलों को छोड़कर जो POCSO Act, 2012 एवं SC/ST (POA) Act, 1989 दोनों के अंतर्गत अंतर्गत पंजीबद्ध हैं)।
			2	उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर पृष्ठांकन नंबर B/128(Dacoity/SC/ST)/III-6-4/81 जबलपुर दिनांक 08.01.2019 के साथ प्राप्त मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना भोपाल दिनांक 03.01.2019 फा.क. 1–7/81/21– ब(एक)6009/2018 मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत मामले।
			3	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले।
2(अ)	विशेष न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(श्री प्रमोद कुमार)**	मुख्यालय ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न	1	पूर्व. में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।

3	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(श्री आदित्य रावत)**	सम्पूर्ण ग्वालियर सत्र खण्ड के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न	1 2	म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना **दिनांक 5.5.09/2.5.13** के अनुसार राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ई.ओ.डब्ल्यू.) तथा विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त) ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत होने वाले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रकरण व कार्यवाहियां तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत, धारा 438, 439 दं.प्र.सं. के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रतिभूति आवेदन पत्र। समय–समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले।
3(अ)	प्रथम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(श्री आदित्य रावत)**	मुख्यालय ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न	1 2 3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित सिविल प्रकरण। पूर्व में निराकृत क्लेम से संबंधित मामलों एवं माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त होने वाले आदेशों से संबंधित अग्रिम एवं विविध कार्यवाहियां। उपरोक्त क्लेम प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
4	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(श्री संजय गोयल)**	ग्वालियर सत्र खण्ड के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न	1–अ 1–ब 2	म.प्र.उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रं. बी/3472/तीन–6–4/81 भाग छः, दिनांक 05.07.2021 के अनुसार म.प्र. डकैती तथा व्यपहरण क्षेत्र प्रभावित अधिनियम 1981 के अंतर्गत ग्वालियर सत्र खण्ड के अधीन पुलिस थाना मुरार, झासीरोड, कम्पू, जनकगंज, गोला का मंदिर, बहोडापुर, महिला थाना पडाव, जी.आर.पी. (बी.जी. एण्ड एन.जी.), आर.पी.एफ. के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण व कार्यवाहियां तथा धारा 438 व 439 दं.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र। उक्त अधिनियम के उपरोक्त थाना क्षेत्रों के निराकृत प्रकरणों में फरारी से उपस्थित होने वाले अरोपीगण के प्रतिभूति आवेदन पत्रों का निराकरण व वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले ऐसे समस्त प्रकरणों में निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही का संपादन। उक्त आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध कार्यवाहियां । सत्र न्यायाधीश द्वारा समय समय पर अंतरित आपराधिक मामले।
4(अ)	द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(श्री संजय गोयल)**	मुख्यालय ग्वालियर	1 2 3	मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना भोपाल दिनांक 24.01.2020 फा.क्रमांक 17(ई) 2/2020/21–ब(एक)/65/2020 के अनुसार The Banning of Unregulated Scheme Act 2019 से संबंधित मामले एवं विविध कार्यवाहियां। **लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले रूपये 501/– से 1000/– तक की सीमा के लघुवाद** तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियॉं। इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।

			4	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			5	आरक्षी केन्द्र **विश्वविद्यालय (केवल आहृत मामले)**, हजीरा से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			6	भारतीय ट्रस्ट अधि. 1982 की धारा 72 के अंर्तगत प्रस्तुत होने वाले मामले।
			7	दिवालिया अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले मामले।
			8	**पंचम एवं षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर** द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें। (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)
			9	**व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (रिक्त न्यायालय)** द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उद्भूत समस्त अपीलें।
			10	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			11	**माह जनवरी में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंर्तगत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
5	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर, **(श्री देवेन्द्र कुमार कुण्डु)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			2	इसी न्यायालय के आपराधिक प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक मामले।
			3	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
5(अ)	तृतीय जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर, **(श्री देवेन्द्र कुमार कुण्डु)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना भोपाल दिनांक 28.09.2020 फा.कमांक 17(ई) 17/2016/21–ब(एक) /2020 कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन राजस्व जिला ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, राजगढ़, अशोक नगर के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामूली आरंभिक सिविल आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन मामले।
			2	मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना भोपाल दिनांक 28.09.2020 फा.कमांक 17(ई) 17/2016/21–ब(एक) /2020 कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 की धारा 3क के अधीन राजस्व जिला ग्वालियर (ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, राजगढ़, अशोक नगर) के अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए वाणिज्यक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामलों का निपटारा

				करने के लिए वाणिज्यिक अपीलों से संबंधित मामले।
			3	आरक्षी केन्द्र मोहना, उटीला, मुरार, पुरानी छावनी से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			5	उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
			6	**सप्तम, अष्ठम एवं त्रयोदशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड** द्वारा पारित निर्णय एवं आदेशों की नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)
			7	आरबिट्रेशन तथा कॉसिलियेशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 34 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन एवं निष्पादन प्रकरण सहित सभी मामले।
			8	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
			9	मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2015 से संबंधित मामले।
			10	ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले।
			11	कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले।
			12	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			13	**माह फरवरी में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
6	चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	ग्वालियर सत्र खण्ड		
6(अ)	चतुर्थ जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	मुख्यालय ग्वालियर		

7	पंचम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(श्री सतीश कुमार गुप्ता)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक सी.एच. 78/तीन–6–4/81–6 दिनांक 30.04.2021 के अनुसार म.प्र. डकैती तथा व्यपहरण क्षेत्र प्रभावित अधिनियम 1981 के अंतर्गत ग्वालियर सत्र खण्ड के अधीन पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना, पुरानी छावनी, तिघरा, पनिहार, बेहट, बिजौली, भंवरपुरा, महाराजपुरा, हस्तिनापुर, आरोन, उटीला के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा धारा 438 व 439 द.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			2	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
			3	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
7(अ)	पंचम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, **(श्री सतीश कुमार गुप्ता)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			2	आरक्षी केन्द्र आरोन, हस्तिनापुर से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			3	**पन्द्रहवे, सौलहवे व्ययवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम, एकादशम, द्वादशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर** के द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)।
			4.	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां ।
			5	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			6	उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
			7	**माह मार्च में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
8	षष्ठम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(श्रीमति अनीता सिंह)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक– सी/638 (OAW)/III-6-6/84-II जबलपुर दिनांक 18.02.2021 के अनुसार महिलाओं के विरूद्ध अपराध रजिस्ट्री, जबलपुर के ज्ञापन क. सी/ 633 दिनांक 18.02.21 में दिये गये निर्देशानुसार सभी मामले एवं संबंधित विविध कार्यवाहियां।
			2	उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत मामलों से संबंधित समस्त विविध कार्यवाही।

			3	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
			4	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
8(अ)	षष्ठम् जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, (**श्रीमति अनीता सिंह**)	मुख्यालय ग्वालियर		
9	सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(श्री रवि झारोला)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	**म.प्र.उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन कमांक–ए/1831 जबलपुर, दिनांक 18.04.2022 के द्वारा सायबर एण्ड हाई टेक्निक काईम पुलिस थाना भोपाल जोन (जिसके अंतर्गत अशोकनगर, भिण्ड, छतरपुर, दतिया, ग्वालियर, गुना, मुरैना, पन्ना, श्योपुर, शिवपुरी, टीकमगढ़)** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा धारा 438 व 439 दं.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			2	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
			3	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
9(अ)	सप्तम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(श्री रवि झारोला)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रूपये 11,00,00,001/–(ग्यारह करोड़ एक) से अधिक किन्तु रूपये 13,00,00,000/– (तेरह करोड़)** तक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	खाद्य निगम अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी मामले।
			3	आरक्षी केन्द्र गिरवई, भंवरपुरा, तिघरा, घाटीगांव से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			5	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड** ग्वालियर द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)
			6	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां ।
			7	उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।

			8	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			9	**माह अप्रैल में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
10	अष्टम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर **(श्री सुशील कुमार जोशी)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	**म.प्र.उच्च न्यायालय की अधिसूचना कमांक–बी/8125/तीन–6–2/18 जबलपुर दिनांक 14.12.21 के द्वारा एम.पी./एम.एल.ए. से संबंधित ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा धारा 438 व 439 द.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			2	रजिस्ट्री जबलपुर के पृष्ठांकन कमांक सी/3041 दिनांक 30.06.22 एवं मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना कमांक–फा.क./2423/21–ब(एक)/2022 दिनांक 29.06.22 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आसीन एवं पूर्ववर्ती सांसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनिम, 1981 के तहत पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु मुख्यालय ग्वालियर में विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्र, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ तथा धारा 438, 439 द.प्र.सं. के प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			3	म.प्र.उच्च न्यायालय की अधिसूचना कमांक–ए/968/तीन–6–2/18 जबलपुर दिनांक 09.02.2022 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आसीन एवं पूर्ववर्ती सांसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरूद्ध **ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न व्यापम स्कैम प्रकरण एवं ऐसे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की गयी हो, से संबंधित मामले एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ तथा धारा 438, 439 द.प्र.सं. के प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			4	म.प्र.उच्च न्यायालय की अधिसूचना कमांक–ए/4547/तीन–6–2/18 जबलपुर दिनांक 23.11.2022 के द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के आसीन एवं पूर्ववर्ती सांसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरूद्ध **ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विद्युत अधिनि्यम, 2003 एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 से संबंधित मामले एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहियॉ तथा धारा 438, 439 द.प्र.सं. के प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			5	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
			6	पूर्व. में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।

10(अ)	अष्टम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(श्री सुशील कुमार जोशी)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रू. 7,00,00,001/–(सात करोड एक) से रू. 11,00,00,000/–(ग्यारह करोड)** तक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	आरक्षी केन्द्र **विश्वविद्यालय (केवल मृत्यु मामले)**, पनिहार, बिजौली से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			4	**नवम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर एवं द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर** द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)।
			5	**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (रिक्त न्यायालय)** द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरणों से उद्भूत समस्त अपीलें।
			6	भूमि अर्जन पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पादर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 64 एवं 65 के अंतर्गत रेफरेंस/कलेक्टर स्टेटमेंट्स से संबंधित प्रकरण। (As per notification of dated 08.09.2016 and thereafter clarified by Hon'ble High Court by Memorandum No. 67/PR(J)/2018 Jabalpur, Dated 03.05.2018)
			7	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां ।
			8	उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
			9	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			10	**माह मई, जून में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
11	नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर **(श्री समीर कुलश्रेष्ठ)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	भारत का राजपत्र असाधारण भाग–द्वितीय–खण्ड–3–उपखण्ड (ii) प्राधिकार से प्रकाशित संख्या 3195 नई दिल्ली बृहस्पतिवार 16 अगस्त,2018 के संबंध में म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर का Endt. No. सी/1819/तीन–6–6/15 दिनांक 15.04.2019 के द्वारा वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली 16.08.2018 का.आ. 3997(अ) – केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1922 (1992 का 15) की धारा 26क

				प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के तहत सुनवाई किये जाने वाले विशेष मामलों से संबंधित कार्यवाहियां।
			2	म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्र. 1–3–2004/4823/2019/21–ब(एक) दिनांक 14.10.19 के परिप्रेक्ष्य में निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अधीन मामलों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश **नामित।**
			3	म.प्र. उच्च न्यायालय के मेमोरेण्डम क्र. बी/1625/तीन–6–6/2014 दिनांक 11.03.19 के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 के अनुसार दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध।
			4	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
			5	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
11 (अ)	नवम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(श्री समीर कुलश्रेष्ठ)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रू. 1,00,00,001/–(एक करोड एक) से रू. 3,00,00,000/– (तीन करोड) तक** के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			3	आरक्षी केन्द्र सिरौल, इंदरगंज, कम्पू से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			4	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
			5	**प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं एकादशम् व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)**
			6	उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
			7	चेरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट अधिनियम 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।
			8	उत्तराधिकार अधिनियम 1925 (भाग) (10) के अधीन दिये गये आदेशों के विरूद्ध अपीलें।

			9	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			10	**माह जुलाई में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
12	दशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(श्री अशरफ अली)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पत्र कमांक ए/1915 तीन–6–4/57–42 जबलपुर, दिनांक 21.04.2022 एवं म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. कमांक 1342/2022/इक्कीस–ब (एक)/2022, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 (कमांक 8 सन् 2012) के नियम 8 के उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, म.प्र.उच्च न्यायालय के परामर्श से एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना कमांक 17ई 8–2012/इक्कीस–ब (एक)–3317–2021 दिनांक 03 सितम्बर, 2021 में जो म.प्र.राज्यपत्र (असाधारण) में दिनांक 10 सितम्बर 2021 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18.05.22 के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय क.1, ग्वालियर जिसके तहत राजस्व जिला श्योपुर, मुरैना, भिण्ड एवं दतिया का समाविष्ठ क्षेत्र।
			2	समय–समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित आपराधिक मामले।
			3	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
12 (अ)	दशम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(श्री अशरफ अली)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रू. 5,00,00,001/– (पांच करोड एक) से रू. 7,00,00,000/–(सात करोड)** तक के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			3	आरक्षी केन्द्र जनकगंज, पड़ाव से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			4	**दशम्, चतुर्थदशम एवं प्रथम के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, प्रथम के अतिरिक्त तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड** ग्वालियर द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)।
			5	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां ।
			6	**माह अगस्त में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।

13	एकादशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर **(श्री तरूण सिंह)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना कमांक–A/2085 /(Exclusive POCSO)/III-6-5/2010/(FTSCS) C.S.S. जबलपुर दिनांक 22.04.2023 के अनुसार पॉक्सो एक्ट 2012 से संबंधित **आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय, घाटीगांव, पुरानी छावनी, हजीरा, मोहना, उटीला, आरोन, हस्तिनापुर, गिरवई, भंवरपुरा, पनिहार, बिजौली, सिरौल (ऐसे अन्य थाने जो त्रयोदशम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को न दिये गये हो)** से उद्भूत अपराध से संबंधित सभी मामले एवं संबंधित विविध कार्यवाहियां।
			2	वे सभी मामले जो **आरक्षी केन्द्र विश्वविद्यालय, घाटीगांव, पुरानी छावनी, हजीरा, मोहना, उटीला, आरोन, हस्तिनापुर, गिरवई, भंवरपुरा, पनिहार, बिजौली, सिरौल (ऐसे अन्य थाने जो त्रयोदशम अति. सत्र न्यायाधीश ग्वालियर को न दिये गये हो),** तहसील भितरवार के **आरक्षी केन्द्र चिनौर, भितरवार, करहिया, बेलगढ़ा** एवं तहसील डबरा का **आरक्षी केन्द्र गिजोर्रा** से उद्भूत माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर के मैमो कमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार जो POCSO Act, 2012 एवं SC/ST (POA) Act दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध हैं।
			3	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
			4	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
13 (अ)	एकादशम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर **(श्री तरूण सिंह)**	मुख्यालय ग्वालियर		
14	द्वादशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर **(श्री अजय सिंह)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	म.प्र. उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन कमांक ए/1917/तीन–6–5/14 जबलपुर, दिनांक 21.04.2022 के अनुसार म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं, जिनकी विवेचना **सीबीआई, स्पेशल टास्क फोर्स, स्थानीय थानो** द्वारा की जा रही हो, से संबंधित प्रकरण/विविध कार्यवाहियां एवं उपरोक्त प्रकरणों से उद्भूत विविध आपराधिक कार्यवाहियां जो कि ग्वालियर, टीकमगढ, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर से उद्भूत आपराधिक कार्यवाहियां।
			2	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
			3	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
14 (अ)	द्वादशम् जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर **(श्री अजय सिंह)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रू. 13,00,00,001/–(तेरह करोड एक) से रू. 15,00,00,000/– (पंद्रह करोड) तक** के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2.	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।

			3	**माह सितम्बर में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			4	आरक्षी केन्द्र कोतवाली, गोले का मंदिर के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			5	**बारहवें व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं प्रथम के अतिरिक्त द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, त्रयोदशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड** ग्वालियर के द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)।
			6	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां ।
15	त्रयोदशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर **(श्रीमती आरती शर्मा)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक– B/3476 (Exclusive POCSO)/III-6-5/2010/ (FTSCs) C.S.S. जबलपुर दिनांक 05.07.2021 के अनुसार पॉक्सो एक्ट 2012 से संबंधित **आरक्षी केन्द्र इंदरगंज, जनकगंज, पड़ाव, कोतवाली, गोले का मंदिर, मुरार, बहोड़ापुर, थाटीपुर, झासी रोड़, माधौगंज, महिला थाना पड़ाव, बेहट, ग्वालियर, तिघरा, कम्पू एवं महाराजपुरा** से उद्भूत अपराध से संबंधित सभी मामले एवं संबंधित विविध कार्यवाहियां।
			2	वे सभी मामले जो **आरक्षी केन्द्र इंदरगंज, जनकगंज, पड़ाव, कोतवाली, गोले का मंदिर, मुरार, बहोड़ापुर, थाटीपुर, झासी रोड़, माधौगंज, महिला थाना पड़ाव, बेहट, ग्वालियर, तिघरा, कम्पू एवं महाराजपुरा एवं** तहसील डबरा के **आरक्षी केन्द्र डबरा ग्रामीण, डबरा सिटी, पिछौर, आंतरी, बिलौआ** से उद्भूत माननीय म.प्र.उच्च न्यायालय, जबलपुर के मैमो क्रमांक डी/1869 दिनांक 18.06.2021 के अनुसार जो POCSO Act, 2012 एवं SC/ST (POA) Act दोनों के अंतर्गत पंजीबद्ध हैं।
			3	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
			4	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
15 (अ)	त्रयोदशम् जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर **(श्रीमती आरती शर्मा)**	मुख्यालय ग्वालियर		

16	चतुर्थदशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(श्री निवेश कुमार जायसवाल)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कमांक ए/1812 जबलपुर, दिनांक 14.04.2022 के अनुसार स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी अधिनियम 1985 के अंतर्गत ग्वालियर सत्र खण्ड के अधिकार मे उत्पन्न सभी प्रकरण व कार्यवाहियां एवं उनसे संबंधित धारा 438 व 439 दं.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			2	उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पत्र कमांक सी/1844/तीन–6–4/10 जबलपुर, दिनांक 23.04.22 के द्वारा प्रस्तावित एवं विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना फा कमांक–1405/21–ब(एक)/2022–राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप–धारा (1) के प्रकाश में विभाग की अधिसूचना फा.क. ब(1) 3476–2013 दिनांक 11 सितम्बर 2013, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग–एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई, में संशोधन दि. 20.05.2022 होने से राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 से संबंधित ग्वालियर सत्र खण्ड के अधिकार मे उत्पन्न सभी मामले व कार्यवाहियां।
16 (अ)	चतुर्थदशम् जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर **(श्री निवेश कुमार जायसवाल)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			2	आरक्षी केन्द्र बहोड़ापुर, थाटीपुर से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			3	**तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)।**
			4	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
			5	**माह अक्टूबर में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
17	पन्द्रहवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(श्री राजेश कुमार रावतकर)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1.	उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पत्र कमांक ए/1915 तीन–6–4/57–42 जबलपुर, दिनांक 21.04.2022 एवं म.प्र. शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना फा. कमांक 1342/2022/इक्कीस–ब (एक)/2022, मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 (कमांक 8 सन् 2012) के नियम 8 के उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, म.प्र.उच्च न्यायालय के परामर्श से एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना कमांक 17ई 8–2012/इक्कीस–ब (एक)–3317–2021 दिनांक 03 सितम्बर, 2021 में जो म.प्र.राज्यपत्र (असाधारण) में दिनांक 10 सितम्बर 2021 को प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 18.05.22 के अन्तर्गत अन्तर्गत भ्रष्टाचार

				निवारण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय क.2, ग्वालियर जिसके तहत राजस्व जिला ग्वालियर, शिवपुरी, गुना एवं अशोक नगर का समाविष्ठ क्षेत्र।
			2	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले।
			3	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
17 (अ)	पन्द्रहवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ग्वालियर **(श्री राजेश कुमार रावतकर)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रू.3,00,00,001/–(तीन करोड एक) से रू. 5,00,00,000/– (पांच करोड) तक** के वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			3	कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे आने वाले प्रकरणो को छोडकर, प्रोबेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, की धारा 264 से 302 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियां एवं गार्जियन एवं वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सभी प्रकरण तथा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत दत्तक ग्रहण किये जाने संबंधी मामले एवं दत्तक अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।
			4	आरक्षी केन्द्र झांसी रोड़, माधौगंज से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			5	**प्रथम के अतिरिक्त चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, प्रथम के अतिरिक्त पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड** ग्वालियर द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपील (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)
			6	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां ।
			7	**माह नवम्बर में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।

18	सोलहवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	ग्वालियर सत्र खण्ड		
18 (अ)	सोलहवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	मुख्यालय ग्वालियर		
19	सत्रहवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर **(श्री संजय कुमार सिंह)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	म.प्र.उच्च न्यायालय जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक ए/1822/तीन–6–4/81 जबलपुर, दिनांक 15.04.2022 के अनुसार म.प्र. डकैती तथा व्यपहरण क्षेत्र प्रभावित अधिनियम 1981 के अंतर्गत ग्वालियर सेशन खण्ड के अधीन **पुलिस थाना मुरार, झासीरोड, कम्पू, जनकगंज, गोला का मंदिर, बहोडापुर, महिला थाना पडाव, जी. आर.पी. (बी.जी. एण्ड एन.जी.), आर.पी.एफ. एवं पुलिस थाना घाटीगांव, मोहना, पुरानी छावनी, तिघरा, पनिहार, बेहट, बिजौली, भंवरपुरा, महाराजपुरा, हस्तिनापुर, आरोन, उटीला** से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारिता को **छोडकर** शेष ग्वालियर सेशन खण्ड के समस्त क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा धारा 438 व 439 दं.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			2	उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक **ए/1814 (एस. टी.एफ.) तीन–6–5/14 जबलपुर, दिनांक 14.04.2022** के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल द्वारा अनुसंधान में लिये गये जिला ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा धारा 438 व 439 दं.प्र.स. के प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			3	समय समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जाने वाले आपराधिक मामले और उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां।
			4	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
19 (अ)	सत्रहवे जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, ग्वालियर **(श्री संजय कुमार सिंह)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			2	आरक्षी केन्द्र बेहट, ग्वालियर, महाराजपुरा से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			3	**नवम् एवं दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर** के द्वारा निराकृत नियमित व्यवहार वाद से उत्पन्न नियमित एवं विविध अपीलें (कंडिका–1(अ)14 में उल्लेखित अपीलों को छोड़कर)।

			4	हिन्दू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1956, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से संबंधित मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाही एवं निष्पादन मामले (नगर निगम ग्वालियर की परिसीमा तथा छावनी केन्टोनमेन्ट क्षेत्र एवं कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मामलों को छोडकर)।
			5	भरण पोषण एवं दत्तक अधिनियम 1956 से संबंधित सभी मामले। (तहसील डबरा तथा भितरवार क्षेत्र के प्रकरणों को छोडकर)
			6	इसी न्यायालय द्वारा पूर्व के निराकृत सांपत्तिक वाद तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
			7	**माह दिसम्बर में** म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
20	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय कमांक –3 (विद्युत) ग्वालियर **(श्री राज कुमार गुप्ता)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर अधिसूचना कमांक ए/1810 /तीन–6–4/2003 जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का सांख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई अधिसूचना कमांक सी/5397 दिनांक 28.12.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर अनुसूची के कॉलम नं.3 में वर्णित विशेष न्यायालयों जिनका गठन राज्य शासन की अधिसूचना कमांक 17(ई)83/03/21–बी(1)/5846/2018 दिनांक 07.12.2018 द्वारा न्यायिक अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जिन्हें समस्त विशेष प्रकरण एवं विविध प्रकरण व कार्यवाहियां तथा तत्संबंधी द.प्र. सं. की धारा 438 व 439 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			2	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			3	पूर्व के विशेष न्यायालय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तथा द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय विघुत) द्वारा पूर्व में पारित विशेष प्रकरणों में विविध कार्यवाहियां तथा वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेशों के पालन में आवश्यक कार्यवाहियॉ सम्पादित की जावेंगी।
			4	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
20 (अ)	जिला न्यायाधीश, ग्वालियर एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण **(श्री राज कुमार गुप्ता)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।

21	अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय कमांक –4 (विद्युत) ग्वालियर **(श्री प्रवीण हजारे)**	ग्वालियर सत्र खण्ड	1	उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर अधिसूचना कमांक डी/2411 –(इले.एक्ट)/तीन–6–4/2003 जबलपुर दिनांक 15.07.2021 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का सांख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई अधिसूचना कमांक सी/5937 दिनांक 28.12.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर अनुसूची के कॉलम नं.3 में वर्णित विशेष न्यायालयों जिनका गठन राज्य शासन की अधिसूचना कमांक 17(ई)83/03/21–बी(1)/5846/2018ए दिनांक 07.12.2018 द्वारा न्यायिक अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जिन्हें समस्त विशेष प्रकरण एवं विविध प्रकरण व कार्यवाहियां तथा तत्संबधी द.प्र. सं. की धारा 438 व 439 के अंर्तगत प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			2	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र ।
			3	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
21 (अ)	जिला न्यायाधीश, ग्वालियर एवं सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण **(श्री प्रवीण हजारे)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
22	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर **(श्री सी.एस. शैयाम)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कमांक **ए/1816 (एस.टी.एफ.) तीन–6–5/14 जबलपुर, दिनांक 14.04.2022** के अनुसार स्पेशल टास्क फोर्स, भोपाल द्वारा अनुसंधान में लिये गये जिला ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर क्षेत्र के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विविध कार्यवाहिया।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।
			3	नगर पालिका अधिनियम, 1956 के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य समस्त अपीलें।
			4	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
			5	ऐसे समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां जो व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय हैं और जिनका इस कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र उल्लेख नहीं है।

23	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर एव प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, ग्वालियर **(श्रीमती रूपाली उईके)**	मुख्यालय ग्वालियर	1 2	म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना कमांक 1130–1292582–2023–50–2 भोपाल दिनांक 30.05.2023 किशोर न्याय (बालको की देख–रेख और संरक्षण) अधिनियम एवं माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर का पृ.कं. ए/3091 (जेजेबी)/जबलपुर/तीन–6–4/72–ग्यारह जबलपुर दिनांक 26.05.23 पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
24	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर एवं जिला रजिस्ट्रार **(श्री वरूण कुमार शर्मा)**	मुख्यालय ग्वालियर ग्राम न्यायाधिपति	1 2 3 4 5	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले। उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अंतर्गत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र तथा उक्त अधिनियम के अंतर्गत (धारा 264 से 302 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियों को छोड़कर) प्रस्तुत होने वाले व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के क्षेत्राधिकार वाले अन्य प्रकरण तथा निराकृत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के मामलों में प्रमाणपत्र जारी करने की कार्यवाहियां एवं अन्य विविध कार्यवाहियां। इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत मामलों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले। **उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर से पृष्ठांकन कमांक डी/4247/दो–15–18/2001 दिनांक 31.08.21 के साथ प्राप्त म. प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना फा0 कमांक 17 (ई) 43/2009/21–ब (एक)/3240/21 दिनांक 28.08. 2021 के अनुसार ग्राम न्यायालय ग्वालियर के क्षेत्राधिकार के राजस्व मुख्यालय ग्वालियर के क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पचायतों से उदित ग्राम न्यायालय ग्वालियर के क्षेत्राधिकार के सिविल तथा आपराधिक प्रकरण।** **ग्राम न्यायाधिकारी ग्वालियर द्वारा पूर्व में निराकृत प्रकरण, साम्पत्तिक वाद निष्पादन कार्यवाही में किराया जमा करने और निकालने संबंधी आवेदन पत्र तथा अन्य आवश्यक कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले सिविल तथा आपराधिक प्रकरणों में निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाहियां संपादित करेगें।**
25	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर **(श्रीमती शिवानी शर्मा)**	मुख्यालय ग्वालियर	1 2	**मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग अधिसूचना भोपाल दिनांक 11.10.21 फा.कमांक 3881/21–ब(एक) /2021 कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 की धारा 3 की उपधारा (1), (1–क) तथा (2) के अधीन राजस्व जिले ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, छतरपुर, श्योपुर, राजगढ़, अशोक नगर अंतर्गत आने वाले जिलों के लिए वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित मामूली आरंभिक सिविल आर्थिक क्षेत्राधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रकरण।** **रू. 65,00,001/– (पैंसठ लाख एक) से रूपये 75,00,000/– (पिचत्तर लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।

			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			4	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
26	पंचम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर **(श्री आशीष श्रीवास्तव)**	मुख्यालय ग्वालियर	1.	**रूपये 35,00,001/– (पैंतीस लाख एक) से रूपये 40,00,000/– (चालीस लाख रूपये) तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।**
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
27	षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर **(श्री नितिन कुमार मुजाल्दा)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रूपये 15,00,001/– (पंद्रह लाख एक) से रूपये 20,00,000/– (बीस लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले मामले।
			3	**लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले रूपये 500/– तक की सीमा के लघुवाद** तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियॉं।
			4	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
28	सप्तम व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड ग्वालियर **(श्री महेन्द्र सैनी)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**म.प्र.उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक–बी/8125/तीन–6–2/18 जबलपुर दिनांक 14.12.21 के द्वारा एम.पी./एम.एल.ए. से संबंधित ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी** के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण एवं कार्यवाहिया तथा प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			2	**रूपये 90,00,001/– (नब्बे लाख एक) से रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़ रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण।

			4	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
29	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(धरम कुमार)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रू. 50,00,001/- (पचास लाख एक) से रूपये 65,00,000/- (पैंसठ लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
30	नवम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्रीमती निधि सक्सैना)**	मुख्यालय ग्वालियर **138 N.I. Act (Spl)**	1.	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			2	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
31	दशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्री तपन धारगा)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रूपये 20,00,001/- (बीस लाख एक) से रूपये 35,00,000/- (पैंतीस लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
32	एकादशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्री धीरज कुमार)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रूपये 10,00,001/- (दस लाख एक) से रूपये 15,00,000/- (पंद्रह लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
33	द्वादशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्रीमती सरोज बाला मुजाल्दा)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रू. 80,00,001/- (अस्सी लाख एक) से रूपये 90,00,000/- (नब्बे लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।

			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
34	त्रयोदशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्रीमती भावना सिंह)**	मुख्यालय ग्वालियर **138 N.I. Act (Spl)**	1	म.प्र. उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन कमांक ए/1835/तीन–10–40/78 जबलपुर, दिनांक 18.04.2022 के अनुसार **आर्थिक अपराधों** से संबंधित कार्यवाहियॉं जो कि ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, टीकमगढ़ क्षेत्र से उद्भूत हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
35	चतुर्थदशम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्री सचिन ज्योतिषी)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रूपये 5,00,001/– (पांच लाख एक) से रूपये 10,00,000/– (दस लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
			4	ऐसे समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां जो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय हैं और जिनका इस कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र उल्लेख नहीं है।
36	पंद्रहवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **एवं विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट** ग्वालियर **(श्री विजय कुमार पाठक)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कमांक ए/1798(रेलवे)/तीन–6–3/57–नवम जबलपुर दिनांक 13.04.22 के द्वारा ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, विदिशा, भोपाल, दमोह, सतना, श्योपुर, जबलपुर, कटनी, सीधी, रीवा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, राजगढ़ और सीहोर क्षेत्र में रेलवे भूमि पर होने वाले अपराधों का संज्ञान लिये जाने वाले मामलों का विचारण।
37	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, ग्वालियर **(श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा)**	मुख्यालय ग्वालियर **नगर पालिका स्पेशल**	1	माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की अधिसूचना कमांक ए/1800/तीन–6–6/84 जबलपुर दिनांक 13.04.22 के अनुसार खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (कमांक 37 सन् 1954) तथा मध्यप्रदेश म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1956 (कमांक 23 सन् 1956) द्वारा या उनके अधीन घोषित अपराधों से संबंधित मामलों का विचारण।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।

38	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश **(श्रीमती स्वाति निवेश जायसवाल)**	मुख्यालय ग्वालियर **138 N.I. Act (Spl)**	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			2	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
39	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश **(श्री आशीष कुमार माथौरिया)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			2	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
			3	उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां ।
40	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश **(श्री अमित मालवीय)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रूपये 75,00,001/– (पिचत्तर लाख एक) से रूपये 80,00,000/– (अस्सी लाख रूपये)** तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
41	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर के पंचम अतिरिक्त न्यायाधीश **(श्रीमती पूर्णिमा कोठे राजन)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	**रूपये 40,00,001/– (चालीस लाख एक) से रूपये 50,00,000/– (पचास लाख रूपये)** तक वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
42	सोलहवे व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्री अमूल मण्डलोई)**	मुख्यालय ग्वालियर **138 N.I. Act (Spl)**	1	म.प्र. उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन कमांक ए/1919/तीन–6–5/14 जबलपुर, दिनांक 21.04.2022 के अनुसार म.प्र.व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं, जिनकी विवेचना **सीबीआई, स्पेशल टास्क फोर्स, स्थानीय थानों** द्वारा की जा रही हो, से उदभूत विविध आपराधिक कार्यवाहियां जो कि ग्वालियर, टीकमगढ, श्योपुर, भिण्ड, मुरैना, गुना, शिवपुरी, दतिया एवं अशोकनगर से उद्भूत हो।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।

43	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(सुश्री मानसी बालूजा)**	मुख्यालय ग्वालियर	1 2 3	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)** प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले। इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
44	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(कु. अनुप्रेक्षा जैन)**	मुख्यालय ग्वालियर	1. 2 3	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)** प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले। इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
45	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(सुश्री उपमा भार्गव)**	मुख्यालय ग्वालियर	1 2 3	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)** प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले। इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
46	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	मुख्यालय ग्वालियर	1 2 3	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)** प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले। इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।

47	पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्री विजिताश्व पुष्कर)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)**
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
48	षष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)**
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
49	सप्तम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)**
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
50	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)**
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
51	नवम् व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्री विवेक सिंह राजन)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)**

			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
			4	उपरोक्त सभी प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन मामले तथा विविध कार्यवाहियां ।
			5	ऐसे समस्त प्रकरण एवं कार्यवाहियां जो व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा विचारणीय हैं और जिनका इस कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र उल्लेख नहीं है।
52	दशम् व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(सुश्री शिवानी सैनी)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन प्रकरण। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)**
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
53	एकादशम् व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(सुश्री मयूरी गुप्ता)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)**
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
54	द्वादशम् व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(श्री अमन सुलिया)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)**
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।

55	त्रयोदशम् व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर **(कु. मीनाक्षी रावत)**	मुख्यालय ग्वालियर	1	वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले। **(विभाजन पत्रक के पृष्ठ कमांक 36–37 में अंकित नोट अनुसार)**
			2	प्रधान ज़िला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
		तहसील डबरा		
56	प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डबरा जिला ग्वालियर **(श्रीमती ज्योति राजपूत)**	सत्रखण्ड ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1	म.प्र. उच्च न्यायालय के अधिसूचना क्रं ए/4013/तीन–6–4/81 जबलपुर दिनांक 14.07.2023 के अनुसार म.प्र. डकैती तथा व्यपहरण क्षेत्र प्रभावित अधिनियम 1981 के अंतर्गत ग्वालियर सत्र खण्ड के अधीन पुलिस थाना डबरा, पिछोर, आंतरी, बिलौआ, गिजौर्रा, भितरवार, बेलगढा करिया, चीनोर, के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न विशेष एवं विविध प्रकरण तथा उक्त अधिनियम के उपरोक्त थाना क्षेत्रों के निराकृत प्रकरणों में फरारी से उपस्थित होने वाले आरोपीगण के व अन्य प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पत्रों की सुनवाई तथा उक्त प्रकरणों में नियमित आगामी सुनवाई करेगें तथा वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले ऐसे समस्त विशेष प्रकरणों में निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करेगें।
			2	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।
			3	तहसील डबरा स्थित न्यायिक एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, अपील, पुनरीक्षण आदि मामले उक्त न्यायालय को स्वयमेव अतंरित माने जावेगें तथा पश्चात उनका केन्द्रीय पंजीयन सत्र न्यायालय में कराया जावेगा।
			4	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			5	तहसील भितरवार थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले थाना भितरवार, बेलगढा, चीनौर, के संबंध में द0प्र0सं0 की धारा 438 व 439 के अंर्तगत प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			6	तहसील डबरा थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र शहर डबरा, आंतरी, बिलौआ, के संबंध में द0प्र0सं0 की धारा 438 व 439 के अंर्तगत प्रतिभूति आवेदन पत्र।
57 –अ	प्रथम जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर **(श्रीमती ज्योति राजपूत)**	ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार	1	**रू. 2,50,00,001/–(दो करोड पचास लाख एक) से अधिक के** वाद मूल्यांकन के सिविल प्रकरण तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रोबेट, एवं गार्जियन्स एण्ड वार्डस एक्ट, भरण पोषण, दत्तक अधिनियम 1956 के अंर्तगत प्रस्तुत प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां।

			3	**लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले रूपये 501/– से 1000/– तक की सीमा के लघुवाद** तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियॉं।
			4	भारतीय ट्रस्ट अधि. 1982 की धारा 72 के अंर्तगत प्रस्तुत होने वाले मामले।
			5	चेरिटेबल रिलिजियस ट्रस्ट अधि0 1920 के अंर्तगत प्रस्तुत मामले।
			6	ट्रेड मार्क अधि. 1999 के अंर्तगत प्रस्तुत होने वाले मामले।
			7	कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले।
			8	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधि. के अंर्तगत प्रस्तुत मामले।
			9	भू अर्जन अधि0 1894 के अंर्तगत प्रस्तुत रिफरेंस प्रकरण व उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			10	**प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा** के न्यायालयों से उत्पन्न सिविल तथा विविध अपीलें।
			11	**प्रथम व द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भितरवार एवं प्रथम व द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भितरवार एवं श्रृंखला न्यायालय कनिष्ठ खण्ड व वरिष्ठ खण्ड भितरवार** के न्यायालयों से उत्पन्न सिविल तथा विविध अपीलें।
			12	आरक्षी केन्द्र **गिजौर्रा, डबरा ग्रामीण, पिछोर, आंतरी, भितरवार** से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			13	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			14	कुटुम्ब न्यायालय ग्वालियर के क्षेत्राधिकार में आने वाले प्रकरणों नगर निगम ग्वालियर की परिसीमा तथा छावनी कन्टोनमेंट क्षेत्र को छोड़कर तहसील डबरा तथा भितरवार क्षेत्र के हिन्दू विवाह अधिनियम, भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1956, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण उनसे संबंधित समस्त विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			15	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा सीसीडी/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में क्रमशः किराया/क्षतिपूर्ति की राशि जमा तथा भुगतान संबंधी कार्यवाहियां एवं सिविल तथा आपराधिक प्रकरणों में अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्णय/आदेश तथा रिमाण्ड प्रकरणों में आदेश के पालन में आवश्यक

				कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
			16	प्रोवेशियल इनसाल्वेनसी अधि 1920 के अंतर्गत प्रस्तुत मामले।
			17	आरबिट्रेशन तथा कॉसिंलियेशन एक्ट 1996 की धारा 9 व 34 के अंतर्गत प्रस्तुत समस्त मामले, आवेदन एवं निष्पादन मामले सहित सभी मामले।
58	द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डबरा जिला ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	सत्रखण्ड ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार		
58–अ	द्वितीय जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	ग्वालियर कीं तहसील डबरा एवं भितरवार		
59	तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा **(रिक्त न्यायालय)**	सत्र खण्ड ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार		
59 अ	तृतीय जिला न्यायाधीश, एवं सदस्य मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर **(रिक्त न्यायालय)**	ग्वालियर की तहसील डबरा एवं भितरवार		
60	चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डबरा जिला ग्वा. **(श्री संजय कुमार गुप्ता)**	सत्रखण्ड ग्वालियर की तहसील **डबरा एवं भितरवार**	1	म.प्र.उच्च न्यायालय के ज्ञापन कं. डी/291/तीन–6–6/84 दिनांक 10. 01.13 के अनुसार बलात्संग/सामूहिक बलात्संग/हत्या के साथ बलात्संग आदि के मामले एवं इनसे उद्‌भूत विविध कार्यवाहियां। **अ.** थाना गिजोर्रा, आंतरी, बिलौआ, पिछोर, डबरा, भितरवार, करहिया, चीनौर तथा बैलगढा एवं तहसील डबरा एवं भितरवार की अधिकारिता के अन्य सभी सेशन खण्ड जिनमें लैंगिक अपराधों से

				बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मामले संबधित न्यायालय द्वारा अपराध संज्ञान लिए जाने के उपरान्त प्रकरण पंजीकरण हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के न्यायालय की ओर भेजा जावेगा। **ब.** उक्त मामलों से संबंधित रिमाण्ड कार्यवाही व जमानत आवेदन आदि भी इसी न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा उनके द्वारा ही उनका निराकरण किया जावेगा।
			2	तहसील **डबरा** एवं **भितरवार** के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त आरक्षी केन्द्रों से उद्‌भूत होने वाले **"लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012"** से संबंधित समस्त मामले, जमानत आवेदन पत्र एवं समस्त विविध कार्यवाहियां।
			3	उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर अधिसूचना कमांक A/1810 /तीन–6–4/2003 जबलपुर दिनांक 14.04.2022 के अनुसार विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का सांख्यांक 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई अधिसूचना कमांक सी/5937 दिनांक 28.12.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर अनुसूची के कॉलम नं.3 में वर्णित विशेष न्यायालयो जिनका गठन राज्य शासन की अधिसूचना कमांक 17(ई)83/03/21–बी(1)/5846/2018 दिनांक 07.12.2018 द्वारा न्यायिक अधिकारी को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है जिन्हें समस्त विशेष प्रकरण एवं विविध प्रकरण व कार्यवाहियां तथा तत्संबधी द.प्र. सं. की धारा 438 व 439 के अंर्तगत प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			4	सत्र न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले सत्र प्रकरण, आपराधिक अपीलें, आपराधिक पुनरीक्षण, विविध आपराधिक प्रकरण एवं प्रतिभूति आवेदन पत्र।
			5	उपरोक्त प्रकरणों से उदभूत विविध आपराधिक कार्यवाहियां।
			6	पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित सभी विविध कार्यवाहियां।
			7	तहसील भितरवार स्थित न्यायिक एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण, अपील, पुनरीक्षण आदि मामले उक्त न्यायालयों को स्वयमेव अतंरित माने जावेगें तथा पश्चात उनका केन्द्रीय पंजीयन सत्र न्यायालय में कराया जावेगा।
			8	तहसील भितरवार के अंतर्गत आने वाला थाना करहिया तथा डबरा थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र डबरा देहात, पिछोर एवं गिर्जोरा के संबंध में द0प्र0सं0 की धारा 438 व 439 के अंर्तगत प्रतिभूति आवेदन पत्रं।

60 –अ	चतुर्थ जिला न्यायाधीश एवं सदस्य मोटर दुघर्टना दावा अधिकरण डबरा, ग्वालियर **(श्री संजय कुमार गुप्ता)**	ग्वालियर की तहसील **डबरा एवं भितरवार**	1	**रू. 1,00,00,001/–(एक करोड एक) से रू. 2,50,00,000/–(दो करोड पचास लाख) तक** के वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	आरक्षी केन्द्र **करहिया, बेलगढ़ा, बिलौआ, डबरा सिटी, चीनोर** से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ऐसे सभी मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण तथा उक्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न FAR (First Accident Report), DAR (Detailed Accident Report) से संबंधित कार्य एवं IAR (Interim Accident Report) के निराकरण संबंधी कार्य।
			3	अंतरित आवेदन पत्र एवं भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 264 से 302 के अंतर्गत आने वाली कार्यवाहियां।
			4	लोक परिसर(अनाधिकृत अधिपत्य से बेदखली) अधि. 1971 की धारा 9 के अंर्तगत तहसील डबरा तथा भितरवार के प्रस्तुत मामले।
			5	म.प्र.नगर पालिका अधि. के प्रावधानो के अंर्तगत अपीले तथा चुनाव याचिकाएँ।
			6	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार वाद, सिविल अपील, विविध अपील तथा मोटर दुर्घटना दावा मामले।
			7	धारा 9 अशक्त व्यक्ति (मुआवजा तथा पुर्नवास अधिनियम) के अंतर्गत प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण तथा विविध कार्यवाहियां।
			8	**पूर्व से रिक्त व्यवहार न्यायालय वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड डबरा एवं भितरवार एवं प्रथम, द्वितीय व तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड डबरा** से संबंधित अपीलें।
			9	म.प्र. म्युनिसिपल कार्पोरेशन अधिनियम की धारा 307 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			10	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, डबरा के न्यायालय से उत्पन्न सिविल तथा विविध अपीलें।
			11	तहसील डबरा तथा भितरवार क्षेत्र के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे सभी प्रकरण तथा अपीलें जिनका उल्लेख कार्यविभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है। (प्रधान जिला न्यायाधीश के क्षेत्राधिकार को छोडकर)
			12	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा सीसीडी/मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में क्रमशः किराया/क्षतिपूर्ति की राशि जमा तथा भुगतान संबंधी कार्यवाहियां एवं सिविल तथा आपराधिक प्रकरणों में अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्णय/आदेश तथा रिमाण्ड प्रकरणों में आदेश के पालन में आवश्यक कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।

61	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, डबरा, **(रिक्त न्यायालय)**	तहसील डबरा	1	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
62	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, डबरा जिला ग्वा. **(श्री विनय कुमार तिवारी)**	**तहसील डबरा**	1	**रू. 5,00,001/– (पांच लाख एक रूपये) से रूपये 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
			4	**लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले रूपये 500/– तक की सीमा के लघुवाद** तथा उससे उत्पन्न निष्पादन तथा विविध कार्यवाहियां।
			5	नगर पालिका डबरा की नगर पालिका अधिनियम के तहत अपील ।
			6	तहसील डबरा के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे प्रकरण, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है।
			7	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालनार्थ मामले।
63	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, डबरा जिला ग्वा. **(श्री आशीष कुमार केसरवानी)**	तहसील डबरा	1	**उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर से पृष्ठांकन कमांक ए/2391/दो–15–18/2001 जबलपुर दिनांक 11.05.23 के साथ प्राप्त म.प्र.शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल की अधिसूचना फा. कमांक 2206/21–ब (एक)/2023 दिनांक 10.05.23 के अनुसार ग्राम न्यायालय डबरा के क्षेत्राधिकार के राजस्व मुख्यालय ग्वालियर के क्षेत्रीय अधिकारिता में आने वाली जनपद पंचायत/जनपद पचायतों से उदित ग्राम न्यायालय डबरा के क्षेत्राधिकार के सिविल तथा आपराधिक मामले।**
			2	**रू. 50,00,001/–(पचास लाख एक) से रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			3	उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के मामले।
			4	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।

			5	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
64	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, डबरा जिला ग्वा. **(सुश्री सोनल सिंह जादौन)**	तहसील डबरा	1	**रू. 1/–(एक रूपये) से रूपये 2,00,000/– (दो लाख हजार रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
65.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, डबरा जिला ग्वा. **(श्री दीपू शाक्य)**	तहसील डबरा	1	**रू. 2,00,001/–(दो लाख एक रूपये) से रूपये 4,00,000/– (चार लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
66	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, डबरा जिला ग्वा. **(कु. राजेश्वरी जर्मन)**	तहसील डबरा	1	**रू. 4,00,001/–(चार लाख एक रूपये) से रूपये 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार प्रकरण।
			3	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।

तहसील भितरवार			
67 द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, भितरवार **(रिक्त न्यायालय)** **नोट–** उक्त न्यायालय रिक्त रहने तक उक्त न्यायालय से संबंधित उक्त सभी प्रकृति के मामले श्री आशीष कुमार केसरवानी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत होकर उनके द्वारा पंजीकरण, सुनवाई एवं निराकरण इत्यादि समस्त कार्यवाहियॉ की जावेंगी।	तहसील भितरवार	1.	**रू. 5,00,001/–(पांच लाख एक) से रूपये 1,00,00,000/– (एक करोड़) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
		2.	**लघुवाद अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले लघुवाद रूपये 500/– तक की सीमा के हो** तथा उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामले।
		3	उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिये प्रस्तुत होने वाले समस्त मामले।
		4	नगर पालिका भितरवार की नगर पालिका अधिनियम के तहत अपीलें।
		5	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
		6	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
		7	तहसील भितरवार के व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है तथा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड भितरवार द्वारा पूर्व में निराकृत मामलों से संबंधित समस्त कार्यवाहियां।
		8	उपरोक्त सभी प्रकरणो से उत्पन्न निष्पादन मामले तथा विविध कार्यवाहियां।
68 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भितरवार **(श्रीमती ऋचा शर्मा)**	तहसील भितरवार	1	**रू. 1/– रूपये (एक रूपये) से रूपये 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
		2	लिंक कोर्ट के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भितरवार द्वारा पूर्व में निराकृत साम्पत्तिक वाद से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां, किराया जमा तथा भुगतान संबंधी कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेश के पालन में कार्यवाहियों का संपादन।
		3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
		4	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहियां तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
		5	उपरोक्त सभी प्रकरणो से उत्पन्न निष्पादन मामले तथा विविध कार्यवाहियां।

69	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, भितरवार **(श्री राकेश सिंह)**	तहसील भितरवार	1	**रू. 2,50,001/– (दो लाख पचास हजार एक रूपये) रूपये (एक रूपये) से रूपये 5,00,000/– (पांच लाख रूपये) तक** वाद मूल्यांकन के सिविल मामले तथा उनसे उत्पन्न विविध कार्यवाहियां एवं निष्पादन मामले।
			2	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भितरवार द्वारा पूर्व में निराकृत साम्पत्तिक वाद से उत्पन्न निष्पादन प्रकरण एवं विविध कार्यवाहियां, किराया जमा तथा भुगतान संबंधी कार्यवाहियां एवं वरिष्ठ न्यायालयों से प्राप्त होने वाले आदेश के पालन में कार्यवाहियों का संपादन।
			3	प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय–समय पर अंतरित किये जाने वाले व्यवहार मामले।
			4	इसी न्यायालय के पूर्व के निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध कार्यवाहिया तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुपालनार्थ मामले।
			5	उपरोक्त सभी प्रकरणो से उत्पन्न निष्पादन मामले तथा विविध कार्यवाहियां।
			6	तहसील भितरवार के व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड द्वारा सुनवाई योग्य ऐसे मामले, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में अन्यत्र नहीं किया गया है।

<u>नोट</u> : –

1. मुख्यालय, ग्वालियर में पदस्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड को सुविधा की दृष्टि से नये दावों के संबंध में स्थाई वादमूल्य के प्रकरणों को सुनवाई के क्षेत्राधिकार न देते हुए चलित रूप से वादमूल्य के प्रकरणों को सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया जा रहा है जो कि निम्नानुसार है–

स. क.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार	अनु. क.	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है।	माह/वर्ष
1	2	3	4	5	6
1	**सुश्री मानसी बालूजा,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	**मुख्यालय ग्वालियर**		**रूपये 01/– से रूपये 5,00,000 (पॉच लाख)** तक	**मार्च एवं मई**
2	**सुश्री अनुप्रेक्षा जैन** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	**मुख्यालय ग्वालियर**	2	**रूपये 01/– से रूपये 5,00,000 (पॉच लाख)** तक	**जुलाई**
3	**सुश्री उपमा भार्गव,** तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	**मुख्यालय ग्वालियर**		**रूपये 01/– से रूपये 5,00,000 (पॉच लाख)** तक	**अगस्त**

4	**श्री विजिताश्व पुष्कर,** पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	**मुख्यालय ग्वालियर**		**रूपये 01/– से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख)** तक	**अप्रैल एवं जून**
5	**श्री विवेक सिंह राजन,** नवम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	**मुख्यालय ग्वालियर**		**रूपये 01/– से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख)** तक	**अक्टूबर**
6	**सुश्री शिवानी सैनी,** दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	**मुख्यालय ग्वालियर**		**रूपये 01/– से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख)** तक	**नवम्बर**
7	**सुश्री मयूरी गुप्ता,** एकादशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	**मुख्यालय ग्वालियर**		**रूपये 01/– से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख)** तक	**फरवरी**
8	**अमन सुलिया,** द्वादशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	**मुख्यालय ग्वालियर**	1	**रूपये 01/– से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख)** तक	**जनवरी एवं सितम्बर**
9	**कु. मीनाक्षी रावत,** त्रयोदशम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, ग्वालियर	**मुख्यालय ग्वालियर**	4	**रूपये 01/– से रूपये 5,00,000 (पाँच लाख)** तक	**दिसम्बर**

नोट :–

1–अ. **प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश** के अवकाश या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में –

जिला मुख्यालय पर पदस्थ **विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटीज, ग्वालियर** एवं उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का अत्यावश्यक कार्य सम्पादित करेंगे। (**वरिष्ठतम** से तात्पर्य इस न्यायिक जिला मुख्यालय पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित **वरिष्ठता कम** से होगा)

1–ब. ऐसे पश्चातवर्ती जमानत आवेदन, जिनसे संबंधित पूर्ववर्ती जमानत आवेदन का निराकरण पूर्व में किसी अन्य अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया है, या उसी अपराध से संबंधित नवीन जमानत आवेदन पत्र है, ऐसे जमानत आवेदन को उस अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की ओर विधि अनुसार निराकरण हेतु स्वयमेव अंतरित समझा जावेगा, जिनके द्वारा पूर्ववर्ती जमानत आवेदन का निराकरण किया गया है।

स्पष्टीकरण :–

1. ऐसे पूर्ववर्ती जमानत आवेदन का निराकरण करने वाले सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के अवकाश पर रहने की दशा में ऐसे जमानत आवेदन का निराकरण उनके प्रभार वाले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रभारी न्यायाधीश की हैसियत से किया जायेगा।

2. सत्र न्यायाधीश के एक से अधिक दिवस के लिए अवकाश/टूर/ट्रेनिंग पर रहने की दशा में ओ.ए. डब्ल्यू, व्यापम से संबंधित अभियोग पत्र (किसी भी एजेंसी द्वारा अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर) एवं विशेष अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन प्रभारी अति. सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत होने पर संबंधित विशेष न्यायालय में अंतरित माने जावेंगे तथा प्रतिदिन प्रस्तुत होने वाले जमानत आवेदनों का निराकरण विभिन्न कार्यदिवस में निम्नानुसार किया जावेगा :–

सोमवार : श्री प्रमोद कुमार विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज), ग्वालियर
मंगलवारः श्री संजय गोयल, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
बुधवार : श्री समीर कुलश्रेष्ठ, नवम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

गुरूवार : श्री अशरफ अली, दशम् अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
शुक्रवार : श्री अजय सिंह, द्वादशम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर
शनिवार : श्री राजेश कुमार रावतकर, पंद्रहवे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर

3. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कार्यदिवस में न्यायालयों को प्राप्त होने वाले जमानत आवेदन उस न्यायालय को अन्तिम रूप से अन्तरित समझे जायेंगे।

4. उपरोक्तानुसार न्यायाधीशगण में से किसी न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उनका न्यायालय रिक्त होने की दशा में कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार उनके प्रभारी न्यायाधीश द्वारा जमानत आवेदनों का निराकरण प्रभारी की हैसियत से किया जावेगा।

2. फाईलिंग के पश्चात जिस न्यायालय में प्रकरण सुनवाई हेतु प्रेषित किया जायेगा, उसी न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई की जावेगी अथवा उस न्यायालय के अवकाश पर होने पर कार्यविभाजन पत्रक के अनुसार प्रभारी न्यायालय द्वारा अतिआवश्क कार्यवाही या सुनवाई की जावेगी।

3. **यह आदेश जिस दिनांक से प्रभावशील होगा, उसके पूर्व जो कार्य एवं प्रकरण जिस न्यायालय में पूर्व से लंबित हैं या प्रस्तुत हुए हैं, उन पर इस कार्यविभाजन आदेश से अन्यथा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।**

4. तहसील डबरा तथा भितरवार क्षेत्र के आरक्षी केन्द्र से उद्‌भूत होने वाले ऐसे सत्र प्रकरण जिनमें सीधे चालान लेने का प्रावधान नहीं है, सत्र.न्यायालय को उपार्पित किये जायेगे और इस दौरान आरोपी की औपचारिक उपस्थिति का स्थान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा का न्यायालय होगा और उनके द्वारा ही सत्र प्रकरण अन्तरित होकर संबंधित न्यायालय को प्राप्त होने तक उपस्थिति हेतु आगामी तिथि नियत की जा सकेगी। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा के अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा प्रभार अनुसार कार्यवाही संपादित करेंगे।

5. ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश अवधि में आवश्यक प्रकृति के वाद तथा आवेदन पत्रों को ग्राह्य एवं निराकृत करने की कार्यवाही सबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा की जावेगी और यदि संबधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है या अन्यथा न्यायालय रिक्त है, तब उक्त न्यायालय के प्रभारी न्यायालय द्वारा ऐसा अतिआवश्यक कार्य संपादित किया जा सकेगा।

6. जिला मुख्यालय स्थापना पर सभी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के **अतिरिक्त न्यायाधीश**, **प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के अतिरिक्त प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ न्यायाधीश** के न्यायालय, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्री सतीश कुमार गुप्ता, पंचम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर** द्वारा संपादित किये जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार **तृतीय जिला न्यायाधीश** पर रहेगा। उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढते कम में प्रभार रहेगा। **चतुर्थ जिला न्यायाधीश को छोडकर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में प्रभारी न्यायालय तभी भुगतान का आदेश कर सकेगा, जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**

7. **चतुर्थ/सोलहवे/अठारहवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,** ग्वालियर के न्यायालय वर्तमान में रिक्त होने से तथा फास्ट ट्रेक कोर्ट ग्वालियर से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियां उक्त न्यायालय के पदनाम से वर्तमान में नियमित न्यायालय द्वारा संपादित की जावेंगी तथा उक्त नियमित न्यायालय यदि रिक्त है अथवा विशेष न्यायालय होने पर उक्त न्यायालय से संबंधित कार्य एवं **ऐसे रिक्त जिला न्यायालय, जिनका उल्लेख इस कार्य विभाजन पत्रक में नहीं हैं, से संबंधित कार्य श्री अशरफ अली, दशम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर** के द्वारा संपादित किया जाएगा। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार **द्वितीय जिला न्यायाधीश** पर रहेगा तथा उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार बढते कम में रहेगा। **दशम् जिला न्यायाधीश को छोडकर अन्य किसी भी प्रभारी न्यायालय पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्चार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**

8. **एकादशम् व त्रयोदशम जिला न्यायाधीश,** माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विशेष न्यायालय हो जाने के कारण **एकादशम् एवं त्रयोदशम जिला न्यायाधीश** के सिविल एवं क्लेम प्रकरणों से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियां **श्री निवेश कुमार जायसवाल, चतुर्थदशम् जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर** द्वारा संपादित किए जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार **अष्टम जिला न्यायाधीश** पर रहेगा। उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढते कम में प्रभार रहेगा। **चतुर्थदशम् जिला न्यायाधीश को छोडकर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्चार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**

9. **प्रथम एवं षष्ठम जिला न्यायाधीश** माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विशेष न्यायालय होने के कारण प्रथम एवं षष्ठम जिला न्यायाधीश के सिविल प्रकरण से सबंधित **सभी मामले एवं कार्यवाहियां श्री राजेश कुमार रावतकर, पन्द्रहवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ग्वालियर** द्वारा संपादित किए जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार **पंचम जिला न्यायाधीश** पर रहेगा, उनके भी अवकाश अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर बढते कम में प्रभार रहेगा। **पन्द्रहवे जिला न्यायाधीश को छोडकर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्चार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**

प्रथम जिला न्यायालय, ग्वालियर को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से विशेष न्यायालय होने के कारण व्यवहार वाद से संबंधित कार्य नहीं दिया गया है किंतु उन्हें नियमित सिविल अपील एवं क्लेम से संबंधित प्रकरण सुनवाई हेतु दिये गये हैं, इस कारण क्लेम से संबंधित इजरा, एम.जे.सी. प्रकरण की सुनवाई **प्रथम जिला न्यायालय, ग्वालियर** द्वारा ही की जावेगी एवं क्लेम प्रकरणों के भुगतान संबंधी कार्य भी किया जावेगा। **प्रथम जिला न्यायाधीश को छोडकर अन्य किसी भी प्रभारी पर क्लेम प्रकरण से संबंधित भुगतान संबंधी कार्य का प्रभार नहीं रहेगा। मात्र आकस्मिक परिस्थिति में इन्चार्ज न्यायालय तभी भुगतान कर सकेगा जब उस अधिकरण के संबंध में नमूना हस्ताक्षर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय की अनुमति से बैंक में भेजे जाने की कार्यवाही की गयी हो।**

10. जिला मुख्यालय पर **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्री तपन धारगा,** दशम् व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड**, ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार बढते हुए कम में रहेगा।

11. जिला मुख्यालय पर **अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्री धीरज कुमार,** एकादशम् व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड**, ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार बढते हुए कम में रहेगा।

12. जिला मुख्यालय पर **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्री अमन सुलिया**, बारहवे व्यवहार न्यायाधीश **कनिष्ठ खण्ड**, ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार बढते हुए कम में रहेगा।

13. जिला मुख्यालय पर **अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों,. से संबंधित सभी कार्य **श्री विवेक सिंह राजन,** नवम व्यवहार न्यायाधीश **कनिष्ठ खण्ड**, ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे। उक्त न्यायाधीश के अवकाश पर रहने पर अथवा अन्यथा अनुपस्थित रहने पर प्रभार बढते हुए कम में रहेगा।

14. तहसील डबरा में **सभी रिक्त जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्री संजय कुमार गुप्ता,** चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे।

15. तहसील डबरा में **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्री विनय कुमार तिवारी**, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड**, डबरा द्वारा संपादित किये जायेंगे।

16. तहसील डबरा में **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **सुश्री सोनल सिंह जादौन,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश **कनिष्ठ खण्ड** डबरा द्वारा संपादित किये जायेंगे।

17. तहसील डबरा में **अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड** के न्यायालय चाहे वर्तमान में रिक्त हों या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्री दीपू शाक्य,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश **कनिष्ठ खण्ड** डबरा द्वारा संपादित किये जायेंगे।

18. तहसील डबरा में **अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हों या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्री आशीष कुमार केसरवानी**, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड**, डबरा जिला ग्वालियर द्वारा सम्पादित किये जावेगें।

19. तहसील भितरवार में **व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित (**व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड**) सभी कार्य **श्री आशीष कुमार केसरवानी,** तृतीय व्यवहार न्यायाधीश **वरिष्ठ खण्ड**, डबरा जिला ग्वालियर द्वारा संपादित किये जायेंगे।

20. तहसील भितरवार में **व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्री राकेश सिंह,** द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश **कनिष्ठ खण्ड**, भितरवार द्वारा संपादित किये जायेंगे।

21. तहसील भितरवार में **अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय**, चाहे वर्तमान में रिक्त हो या पूर्व से रिक्त चले आ रहे हों, से संबंधित सभी कार्य **श्रीमती ऋचा शर्मा,** प्रथम व्यवहार न्यायाधीश **कनिष्ठ खण्ड**, भितरवार द्वारा संपादित किये जायेंगे।

22. मुख्यालय ग्वालियर में विशेष न्यायालय **एन.आई.एक्ट**, विशेष न्यायालय **रेल्वे**, विशेष न्यायालय **नगर निगम, किशोर न्याय** बोर्ड, **ग्राम न्यायालय** के पीठासीन अधिकारी के पदनाम से पूर्व में निराकृत सिविल वाद, निष्पादन प्रकरण उक्त न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाकर **रिक्त न्यायालय के प्रभारी** न्यायालय में प्रस्तुत किया जावेगा।

23. माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के नाम से प्राप्त होने वाले आदेश की प्रति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ग्वालियर के न्यायालय में प्राप्त कर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किए जावेंगे।

24. "समस्त प्रकरण" से तात्पर्य दावा, विविध प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, अन्य विविध आवेदन, माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले प्रकरण एवं कार्यवाहियों से है।

25. फास्ट ट्रेक कोर्ट तहसील डबरा से संबंधित सभी मामले एवं कार्यवाहियां उक्त न्यायालय के पदनाम से वर्तमान में नियमित न्यायालय द्वारा संपादित की जावेंगी तथा उक्त नियमित न्यायालय रिक्त होने पर उक्त न्यायालय से संबधित कार्य **श्रीमती ज्योति राजपूत,** प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, डबरा ग्वालियर द्वारा संपादित किया जाएगा।

26. पंजीयन लिपिक, केन्द्रीय पंजीयन कार्यालय, जिला न्यायालय ग्वालियर मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों की फाईलिंग के संबंध में **क्षेत्राधिकार का आधार (दुर्घटना मुख्यालय ग्वालियर के थाना क्षेत्रांतर्गत हो/आवेदक संबंधित थाना क्षेत्र का निवासी हो/अनावेदकगण का निवासी या बीमा कंपनी का मुख्यालय संबंधित थाना क्षेत्रांतर्गत हो)** जॉच करने के उपरांत ही फाईलिंग सम्पादित करें।

08/09/2023

(पी.सी. गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर